शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

क्रमांक: DrAMWS/2026/GS/2 दिनांक : 02.01.2026

सार्वजनिक सूचना

श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर द्वारा कभी अपने को अध्यक्ष, कभी कार्यवाहक अध्यक्ष, कभी निर्वाचित अध्यक्ष आदि बताते हुए डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर के लेटर हेड में अनाधिकृत परिवर्तन करते हुए और अनाधिकृत कार्यों में उपयोग में विभिन्न प्रकार के पत्र जारी किए गए हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा ने यहां तक सोशल मीडिया में संदेश जारी किया कि श्री गणपत लाल वर्मा को डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर की केंद्रीय कार्यसमिति के महासचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया है और श्री भंवर मेघवंशी को महासचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभलाया गया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अवैधानिक पत्र क्रमांक Dr. AMWS/ 67/2025 दिनांक 30.11.2025 एवं पत्र क्रमांक Dr. AMWS/01/2026 दिनांक 01.01.2026 द्वारा फिर से ग़लत एवं भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की गई है।दिनांक 30.11.2025 को केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में श्री कीर्ति राज़ हाडीया एवं श्री राजेन्द्र नागर द्वारा अव्यवस्था फैला कर बैठक नहीं करने देने के प्रयास किए थे परंतु बैठक नियमानुसार आयोजित हुई। उपरोक्त बैठक के संदर्भ में श्री संजय बाल्मिकी ने भाग लिया था और उनके बारे में भी ग़लत सूचनाएं जारी की गई है। श्री कीर्ति राज़ हाडीया ने दिनांक 30.11.2025 को नहीं बल्कि 01.12.2025 को सोशल मीडिया पर अपना व्यकतव्य जारी किया था परंतु श्री बनवारी लाल बैरवा द्वारा दिनांक 30.11.2025 को जारी पत्र में ही दिनांक 01.12.2025 की सूचना को शामिल करना यह साबित करता है कि श्री बनवारी लाल बैरवा द्वारा दिनांक 30.11.2025 को जारी पत्र गलत है।

श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी के पद से हटाने के आदेश दिनांक 30.11.2025 एवं दिनांक 18.12.2025 वैधानिक है एवं वर्तमान में प्रभावी है और श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा माननीय न्यायालय में इन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु मिसलीनियस अपीलें दायर की हुई है, परंतु माननीय न्यायालय ने अभी तक श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी के पद से हटाने के आदेशों को रद्द नहीं किया है। अतः श्री जेपी विमल को चुनाव अधिकारी के पद से हटाने के आदेश दिनांक 30.11.2025 एवं दिनांक 18.12.2025 पूर्ण रूप से प्रभावी है और श्री जेपी विमल द्वारा चुनाव अधिकारी के रूप में किए जाने वाले सारे कार्य अवैधानिक है।

अतः श्री जेपी विमल द्वारा करवाए जा रहे डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव दिनांक 04.01.2026 अवैधानिक होने के कारण इस अवैधानिक चुनाव में सहयोग करने वाले मतदान स्थलों के स्वामी एवं मतदान दलों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस अवैधानिक कार्य में शामिल होने के कारण इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगी।

(जी एल वर्मा)
महासचिव
9829688869

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. रजिस्ट्रार संस्थाएं, देव नगर, टोंक फाटक, जयपुर ।
2. समस्त सोसायटी सदस्य, मतदान केंद्र स्वामी एवं मतदान दल अधिकारी, कर्मचारी (सोशल मीडिया, वेबसाइट एवं सूचना पट्ट द्वारा)।

महासचिव